



Office of the Accountant General (Audit-II), Rajasthan, Jaipur



CITIZENS' CHARTER

Vision

The vision of C&AG of India represents what we aspire to become: We strive to be a global leader and initiator of national and international best practices in public sector auditing and accounting and recognised for independent, credible, balanced and timely reporting on public finance and governance.

Mission

Our mission enunciates our current role and describes what we are doing today: Mandated by the Constitution of India, we promote accountability, transparency and good governance through high quality auditing and accounting and provide independent assurance to our stakeholders - the Legislature, the Executive and the Public - that public funds are being used efficiently and for the intended purposes.

1. Placing of Audit Reports of the CAG on the website of the CAG

SN	Our Services	How we measure our performance	Our Timelines
1	Dissemination of the Audit reports of the CAG through the website of the CAG	Average time taken from the date of tabling of Audit Reports in the State Legislature to the date of uploading the same on the website of the CAG	2 working days from the date of tabling in the State Legislature

2. Complaints and Grievances

We shall have in place the following mechanism:

(A) Pensioners Grievance Redressal:

The Grievances Redressal Cell is being working in this office for redressal of grievances related to pension and other retirement benefits of Pensioners/Family Pensioners who retired from office of the Pr. Accountant General (Audit-I), Rajasthan, Jaipur, office of the Accountant General (Audit-II), Rajasthan, Jaipur and office of the Director General of Audit (Central), Ahmedabad Branch office, Jaipur. The Senior Deputy Accountant General (Admn.) is the Nodal Officer.

If the applicant is not satisfied with the response or non-receipt of response, he/she may contact to the Nodal Officer, or the applicant may send an email to office at agaurajasthan1@cag.gov.in or agaurajasthan2@cag.gov.in

(B) Central Public Information Officer

Senior Deputy Accountant General in-charge of Administration in the office of the Principal Accountant General (Audit-1), Rajasthan, Jaipur functions as an independent Public Authority and is designated as CPIO. The Head of the office in the rank of Accountant General is designated as the first Appellate Authority under the RTI Act, 2005.

For further information/clarification contact:

Mr. Ram Khilari Meena, Sr. Deputy Accountant General (Administration), is Central Public Information Officer under the Right to Information Act, 2005.

Telephone No. 0141-2385237 (O), PBX No. 0141-2385230

Accountant General (Audit-II), Rajasthan, Jaipur is the First Appellate Authority under the Right to Information Act, 2005.

Telephone No. 0141-2385399 (O), PBX No. 0141-2385230



कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
राजस्थान, जयपुर



नागरिक प्राधिकार

दृष्टिकोण

सी.ए.जी का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनने की आकांशा रखते हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण में वैश्विक अधिनायक और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम पद्धति के दीक्षक बनने और स्वतंत्र, विश्वसनीय, लोक वित्त और अभिशासन पर संतुलित एवं समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।

मिशन

हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत एवं वर्णित करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, उच्च गुणवत्ता लेखा परीक्षण और लेखकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को उन्नत करते हैं और अपने हितधारकों, विधानमण्डल-कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधियों का उपयोग दक्षता से और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

1. सी.ए.जी. की वेबसाइट पर सी.ए.जी. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखना

क्र.सं.	हमारी सेवाएं	हम अपने कार्य निष्पादन का कैसे आंकलन करते हैं	हमारी समयसीमा
1	सी.ए.जी. की वेबसाइट के माध्यम से सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रसार	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने की तारीख से लेकर उक्त को सी.ए.जी. की वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख तक लिया गया औसत समय ।	राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने की तारीख से 02 कार्य दिवसों में

2. शिकायत

हमारे पास निम्नलिखित तंत्र हैं:

(अ) पेंशनरों की शिकायत का निवारण

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ इस कार्यालय में पेंशन और पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए काम कर रहा है जो कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर, कार्यालय महालेखाकार

(लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर, कार्यालय महानिदेशक, लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद शाखा-जयपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं। वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) नोडल अधिकारी है। यदि आवेदक को प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या वह प्राप्त प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो वह नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है या agaurajasthan1@cag.gov.in अथवा agaurajasthan2@cag.gov.in पर ई-मेल भेज सकता है।

(बी) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) से राजस्थान, जयपुर में कार्यरत वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) नामित किया गया है। जो एक स्वतंत्र जन प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत कार्यालय प्रमुख के पद पर कार्यरत महालेखाकार को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है।

अधिक जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें:-

श्री राम खिलारी मीणा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

दूरभाष सं. 0141-238237 (कार्यालय)

पी.बी. एक्स सं. 0141-2385230

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

दूरभाष सं. 0141-2385399 (कार्यालय)

पी.बी. एक्स सं. 0141-2385230